



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' Provident Fund Organisation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. Of India)

मुख्य कार्यालय / Head Office
भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14- Bhikaiji Cama Place, New Delhi - 110066
www.epfindia.com, www.epfindia.gov.in



संख्या: HRD/3(2)2012/SPF

दिनांक: 23.10.2019

सेवा में,

14 NOV 2019

सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त
सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (स्थानीय प्रशासन)
निदेशक, प.दी.रा.सा.सु.अ. (PDNASS)


विषय: Revised rate of interest – with regard to Staff Provident Fund in EPFO - regarding.

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) से जारी Resolution No.5(2)-B(PD)/2019 दिनांक 21.10.2019 की प्रति उचित कार्यवाही / लागू करने हेतु सलंगन है।

प्रति : सलंगन


भवदीय,


(सरोजनी राणे)

अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एच.आर.डी)

प्रतिलिपि:

1. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के प्रधान निजी सचिव
2. सभी EC / CBT सदस्य
3. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के प्रधान निजी सचिव
4. मुख्य सतकर्ता अधिकारी के प्रधान निजी सचिव / सभी उप निदेशक, सतकर्ता
5. मुख्य अभियंता के निजी सचिव
6. प्रभारी अधिकारी, सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान
7. सभी आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी
8. मुख्यालय के सभी अधिकारी / सभी निजी सचिव / सभी अनुभाग अधिकारी
9. क्षे.भ.नि.आ. (एन.डी.सी.) वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
10. गार्ड फाइल


(नवीन जुनेजा)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एच.आर.डी)

(PUBLISHED IN PART I SECTION 1 OF GAZETTE OF INDIA)

F.NO. 5(2)-B(PD)/2019
Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
(Budget Division)

New Delhi, the 21st October, 2019

RESOLUTION

It is announced for general information that during the year 2019-2020, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.9% (Seven point nine percent) w.e.f. 1st October, 2019 to 31st December, 2019. This rate will be in force w.e.f. 1st October, 2019. The funds concerned are:

1. The General Provident Fund (Central Services).
 2. The Contributory Provident Fund (India).
 3. The All India Services Provident Fund.
 4. The State Railway Provident Fund.
 5. The General Provident Fund (Defence Services).
 6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
 7. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
 8. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
 9. The Defence Services Officers Provident Fund.
 10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.
2. Ordered that the Resolution be published in Gazette of India.


(Anjana Vashishtha)
Deputy Secretary (Budget)

To,


The Manager, (Technical Branch)
Government of India Press, Mayapuri, Delhi.

F.No.5(2)-B(PD)/2019

Copy forwarded to all Ministries/Departments of Government of India, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Union Public Service Commission, Supreme Court, Election Commission and NITI Aayog.

Copy also forwarded to :-

1. Comptroller & Auditor General of India and all offices under his control.
2. Chairman, Pension Fund Regulatory and Development Authority.
3. Controller General of Accounts (10 copies).
4. Ministry of Personnel Public Grievances and Pension (Pension Unit/All India Services Division).
5. Financial Adviser of Ministries/Departments (6 copies).
6. Chief Controller of Accounts/Controller of Accounts of Ministries/Departments.
7. Controller General of Defence Accounts.
8. Finance Secretary of all State Governments and Union Territories.
9. Secretary to Governors/Lt. Governors of all States/Union Territories.
10. Secretary Staff Side, National Council of JCM.
11. All Members, Staff Side, National Council of JCM.
12. NIC - For uploading on webhost.


(A.S. Chowdhury)
Under Secretary (Budget)

(भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशनार्थ)

एफ. संख्या 5(2)-बी(पी.डी.)/2019

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(बजट प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्टूबर, 2019

संकल्प

आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2019-2020 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 1 अक्टूबर, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक 7.9% (सात दशमलव नो प्रतिशत) होगी। यह दर 1 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं:

1. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं)।
 2. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।
 3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
 4. राज्य रेलवे भविष्य निधि।
 5. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)।
 6. भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि।
 7. भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि।
 8. भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि।
 9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
 10. सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि।
2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।


(अंजना वशिष्ठ)
उप सचिव (बजट)

सेवा में,


प्रबंधक, (तकनीकी शाखा)
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, दिल्ली।

फा.संख्या 5(2)-बी(पी.डी.)/2019

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संघ लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और नीति आयोग को प्रति प्रेषित।

निम्नलिखित को भी प्रति प्रेषित:-

1. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और उनके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालय।
2. अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण।
3. महालेखा नियंत्रक (10 प्रतियां)।
4. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन यूनिट/अखिल भारत सेवा प्रभाग)।
5. मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार (6 प्रतियां)।
6. मंत्रालयों/विभागों के मुख्य नियंत्रक/लेखा नियंत्रक।
7. रक्षा लेखा महानियंत्रक।
8. सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त सचिव।
9. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के सचिव/उप-राज्यपाल।
10. सचिव स्टाफ पक्ष, राष्ट्रीय जेसीएम परिषद।
11. सभी सदस्य स्टाफ पक्ष, राष्ट्रीय जेसीएम परिषद।
12. एनआईसी बैबहोस्ट हेतु।


(अरुण श्याम चौधुरी)
अवर सचिव (बजट)